मीटर–युक्त जल सम्पूर्ति प्रणाली लागू करने तथा जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरें निर्धारित करने के सबंध में सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

सर्वश्री

1. बी0के0 पाण्डेय, महाप्रबन्धक जलकल विभाग वाराणसी।
2. राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ।
3. राजीव कुमार बाजपेयी, महाप्रबन्धक जलकल विभाग कानपुर।
4. के0के0 अग्रवाल, टीम लीडर, पी0एम0यू0।
5. आर0एन0 डे, पी0डब्लू0एण्ड पी0एच0ई0, पी0एम0यू0 स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।
6. आर0बी0 सिंह, महाप्रबन्धक, जलकल विभाग इलाहाबाद।
7. आर0पी0 वर्मा, महाप्रबन्धक जलकल विभाग लखनऊ।
8. मंजूरानी गुप्ता महाप्रबन्धक , जलकल विभाग आगरा।
9. आशिक बख्श, लेखाधिकारी।
10. ए0के0 गुप्ता, वित्त अधिकारी, जलकल विभाग लखनऊ।
11. एस0आर0 चन्द्रा, महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।
12. के0पी0 सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मथुरा।
13. आर0के0 द्विवेदी , मुख्य अभियन्ता, वाराणसी जोन, उ0प्र0 जल निगम।
14. प्रदीप कुमार तिवारी, नगर आयुक्त नगर निगम इलाहाबाद।
15. आई0वी0 सिंह , नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
16. उमाकान्त त्रिपाठी, नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी।
17. पी0एन0 मिश्रा0 सहायक अभियन्ता, जलकल विभाग, गोरखपुर।
18. ओ0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, जलकल विभाग, इलाहाबाद।

बैठक में सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, सहारनपुर/वाराणसी द्वारा जल मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव में केमिकल्स पर वार्षिक व्यय का विवरण अलग से प्रस्तुत न किये जाने से अवगत कराया गया। निर्देश दिये गये कि समस्त सम्बन्धित जलकल विभाग द्वारा नगर के पेयजल प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव के अन्तर्गत स्टाफ, विद्युत, केमिकल्स, मशीनरी /जलाशय/ नलकूप/ट्रीटमेंट प्लान्ट के रख–रखाव, आदि समस्त सम्बन्धित मदों पर वर्ष 2013–14 में अनुमानित व्यय के ब्रेक–अप का विवरण एक सप्ताह के अन्दर निदेशक/एसएलएनए, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया जाय।

(**कार्यवाही:** नगरीय निकाय/निदेशालय/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ /इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर /आगरा/सहारनपुर /गोरखपुर)

2— महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/इलाहाबाद द्वारा जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरें लागू करने हेतु तैयार किये गये " माडल गाइड–लाइन्स " के प्रस्ताव से अवगत कराया गया। निर्देश दिये गये कि शेष सम्बन्धित जलकल विभागों द्वारा उक्त " माडल गाइड लाइन्स" का प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर निदेशक/एसएलएनए को प्रेषित किया जाये।
(कार्यवाही – नगर निकाय निदेशालय/महाप्रबन्धक, जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी/मेरठ/कानपुर/आगरा/सहारनपुर /गोरखपुर)

3— उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत चार पेयजल परियोजनाओं–इलाहाबाद पेयजल (पार्ट–1), इलाहाबाद पेयजल (पार्ट–2), लखनऊ पेयजल (फेज–1, पार्ट–1) एवं वाराणसी पेयजल (प्रायर्टी–1, फेज–2/सिस वरूणा) की स्वीकृत डीपीआर में डोमेस्टिक वाटर मीटर्स " मैकेनिकल" टाइप का लगाया जाना प्राविधानित है। महाप्रबन्धक, जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ द्वारा सुझाव दिया गया कि कतिपय क्षेत्र में " आटोमैटिक मीटर रीडर " (एएमआर) टाइप के डोमेस्टिक वाटर मीटर्स लगाये जाने का विचार किया जाना उपयुक्त होगा। संस्तुति की गयी है कि उपरोक्त परियोजनाओं में फिलहाल प्राविधानित प्रकार के ही डोमेस्टिक वाटर मीटर्स लगाये जाते हुए परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाय।

4— बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करते हुए संस्तुति की गयी :—

(क) जलमूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरें इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि वर्तमान में प्रचलित प्राविधान के अनुसार उपभोक्ता जिनके भवन की एआरवी रू0 360 तक है, जल मूल्य से मुक्त रहें।

(ख) जल मूल्य/प्रयोक्त प्रभार की दरों का निर्धारण, नगर की पेयजल प्रणाली का संचालन एवं रख–रखाव के अन्तर्गत स्टाफ, केमिकल्स, मशीनरी /जलाशय /नलकूल/ट्रीटमेंट प्लान्ट के रख–रखाव, मीटर रीडिंग, बिलिंग, बिल बितरण, जल मूल्य संग्रह किये जाने के कार्य आदि समस्त सम्बन्धित मदों पर वर्ष 2013—14 में अनुमानित व्यय को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाये।

(ग) कार्यालय निदेशक/ एसएलएनए नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरें लागू करने हेतु महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी/मेरठ /कानपुर/आगरा/सहारनपुर/गोरखपुर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा प्रेषित की जाने वाली " माडल गाइड–लाइन्स " के प्रस्ताव के आधार पर समग्र प्रस्ताव एक पक्ष में किये जाने का सुझाव दिया गया।

(घ) " माडल गाइड–लाइन्स " को प्रस्ताव में उपभोक्ता से न्यूनतम जल मूल्य (वास्तविक जल प्रयोग की लागत अथवा 12.5 प्रतिशत वाटर–टैक्स जो भी अधिक हो) का प्राविधान किया जाने पर विचार किया जाय।

(ड.) मीटर के अधिष्ठापन कार्य में सम्बन्धित जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा जल निगम/सम्बन्धित फर्म को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये तथा वैध संयोजन वाले उपभोक्ताओं की सूची प्रदान करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं के निजी संयोजन में मीटर्स लगाये जाने के कार्य के दौरान जलकल विभाग के सक्षम कर्मचारी की उपस्थिति भी महाप्रबन्धक, जलकल विभाग से सुनिश्चित कराया जाय, जिससे अधिष्ठापन कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो सके। जलकल विभाग इस विशेष कार्य मात्र हेतु पूर्णकालिक कर्मचारी की तैनाती करेगा। आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य सम्बन्धित फर्म एवं जल निगम के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर सम्पन्न किया जाये तथा उपरोक्त कार्य हेतु सम्बन्धित जलकल विभाग द्वारा डेडीकेटेड टीम की सूची एसएलएनए को तीन दिन के भीतर प्रेषित किया जाये।

बैठक उपर्युक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा संस्तुति के साथ सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

श्री प्रकाश सिंह,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या– 546/9–2–14–95सा/2008,
लखनऊ/दिनांक: 27अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक/एसएलएनए, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम , लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ / इलाहाबाद/ वाराणसी / मेरठ /कानपुर/आगरा/सहारनपुर/गोरखपुर।
5. महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, लखनऊ / इलाहाबाद/ वाराणसी / मेरठ /कानपुर/आगरा/सहारनपुर/गोरखपुर।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
7. टीम लीडर, पीएमयू, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(राजेश बहादुर)
अनुसचिव।